2002 में सुनीता सिंह निवासी हरीपुर रायबरेली के साथ हुई थी, जिनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा उत्कर्ष सिंह 16, छोटा बेटा राजवर्धन सिंह है। दोनों बच्चे चंडीगढ़ के स्कूल में पढ़ने के साथ हास्टल में रहते है। पत्नी सुनीता सिंह अपनी सास के साथ रहती हैं। शहीद हुए जवान के बड़े भाई अर्जुन सिंह ने बताया कि उन्हें गुरुवार की रात 9 बजे सैनिक भाई की मौत की खबर समाचार के माध्यम से मिली। शनिवार को उनका शव गांव आने की उम्मीद जतायी जा रही थी।

लद्दाख के कारगिल में सेना की चौकी पर तैनात पतारा के बिराहिनपुर बलहापारा निवासी जवान के हिमस्खलन में शहीद होने की खबर घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिन्हें सांत्वना देने वालों का तांता दिनभर लगा रहा।

हादसे की जानकारी मिलने पर परिजनों में मचा कोहराम

शहीद हुए सैनिक धर्मेंद्र सिंह (42) अपने पिता के दो पुत्रों में छोटा पुत्र था। धर्मेंद्र सिंह उर्फ बब्लू का थल सेना में 1999 में हवलदार के पद पर चयन हुआ था। परिजनों

पाष्टिक अलसर डिजीज पर व डा. एसके गौतम ने अल्कोहल के लिवर पर होने वाले

किशोरी के अपहरण का मामला

पुलिस ने किशोरी की करायी मेडिकल जांच

कानपुर (एसएनबी)। चकेरी थानाक्षेत्र के सनिगवां से अपहृत हुई किशोरी को गुरुवार को जाजमऊ स्थित बुढ़िया घाट से बरामद किया था। किशोरी ने 112 नम्बर अपने अपहरण की सूचना दी थी। शुक्रवार को पुलिस ने किशोरी के बयान कलमबद्ध किये और फिर उसका मेडिकल कराया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जायेगी।

सनिगवां निवासी किशोरी को विगत 22 दिसम्बर को इलाके में रहने वाला शमशाद उर्फ मटरू अगवा कर ले गया था, जिसके बाद किशोरी को उसने जाजमऊ स्थित बुढ़िया घाट अपने ननिहाल में बंधक बनाकर रखा था जिसकी निगरानी के लिए शमशाद ने अपनी मां को लगा रखा था। गुरुवार शाम किशोरी ने किसी प्रकार मोबाइल से 112 नम्बर पर सूचना दी। हरकत में आयी चकेरी पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। साथ ही शमशाद की मां को भी हिरासत में ले लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज कर उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। सनिगवां चौकी प्रभारी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।

इसी का शोध पत्र भी पेश किये गये हैं। इसके अ

टेक सॉल देगा आ

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

आईआईटी कानपुर के एंड इनक्यूबेशन सेंटर (ए तत्वावधान में 22 जन किया जा रहा इनोवेशन 20' कार्यक्रम युवाओं उद्यमियों की टेक सॉल्यू आइडिया का आकार दे इस कांटेस्ट में भागादारी लिए कांसेप्ट नोट व प्रपो सब्मिशन शनिवार (18 जा सकता है। चयनित आगे बढ़ाने के लिए वि अंतर्गत आर्थिक सहायता सुविधा भी प्रदान की जाये

'उद्भव-20' में भाग भी युवा व्यक्तिगत रूप से तरफ से प्रस्ताव दिये सॉल्यूशन प्रस्ताव एग्रीक स्मार्ट मैटेरियल, लाइव सेनिटेशन, ग्रीन टेक्नो

Frontier Springs Ltd.

Regd. Off.: KM 25/4 Kalpi Road Rania ,Kanpur Dehat- 209304
Tel. No. 05111-240212-13, Fax No. 05111-240214
Website:http://www.frontiersprings.co.in
E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, CIN: L17119UP1981PLC005212

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (a) read with Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, February 08,2020, at 12.30 p.m. at Km 25/4 Kalpi Road, Rania, Kanpur Dehat -209304 to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2019.

Pursuant to this, the company has decided to close the trading window from January 1,2020 for all its Directors, Employees/ Designated Officials till the conclusion of forty-eight hours from the conclusion of the Board Meeting to be held on Saturday, February 08,2020.

For Frontier Springs Limited
Sd/-
Dhruv Bhasin
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 17.01.2020
Place: Kanpur

दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 17 मोबाइल बरामद

कानपुर (एसएनबी)। नौबस्ता पुलिस ने गुरुवार शाम वाहन चेकिंग के दौरान दो शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में अभियुक्तों के पास से 17 विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल बरामद किये हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने किदवई नगर, नौबस्ता, समेत कई इलाकों में मोबाइल लूट की बात स्वीकार की है। नौबस्ता थानाप्रभारी आशीष शुक्ला गुरुवार देर शाम पुलिसबल के साथ निजाम चौराहे के पास चेकिंग कर रहे थे तभी दो युवकों को आता देख पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। अभियुक्तों ने अपना नाम कल्याणपुर निवासी हंसदेव व बर्रा निवासी रमन बताया।

इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

शाखा: 117/एन/43, एवन मार्केट, काकादेव, कानपुर–208025 फो.नं.:– 0512–2502543

प्रतिभूति हित प्रर्वतन नियम 2002 के नियम 8(1) के अर्न्तगत

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड इन्फोरसमेंट आफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोरसमेन्ट) रूल्स 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) मे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लिखित तिथि को डिमांड नोटिस जारी किया गया था जिसमें आगे यह कहा गया था कि उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनो के भीतर बकाया ऋण राशि चुकता कर दी जाए। ऋणी द्वारा चुकता न करने पर एतद्द्वारा ऋणी एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित सम्पतियों का कब्जा ले लिया है। ऋणी को विशेष रूप से और जनसाधारण को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि इन सम्पतियों का सौदा न करें। इन सम्पतियों के बारे में किसी भी प्रकार का सौदा नीचे उल्लिखित राशि और ब्याज के लिए इलाहाबाद बैंक के प्रभार के अधीन होगा।
साथ ही ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की तरफ आकर्षित किया जाता है जो प्रतिभूति सम्पत्ति के मोचन के लिये उपलब्ध समय से सम्बन्धित है।

क्र. सं.	खाता धारक का नाम	ऋणी एवं बंधककर्ता (सम्पत्ति मालिक का नाम)	बंधक सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि कब्जा तिथि एवं बकाया राशि
1.	[illegible] मैंचर	श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सोनेलाल शर्मा	मकान सं. 20–बी न्यू अशोक नगर कल्यानपुर, आराजी सं. 633 का भाग (मौजा–बैरी अकबरपुर बांगर) कानपुर नगर क्षेत्रफल: 225 वर्ग गज एवं 188.122 वर्ग गज चौहद्दी सेल डीड के आनुसार: पूर्व: 1.21 मीटर चौड़ी गली पश्चिम: एस.पी. तिवारी का मकान उत्तर: सूर्य प्रकाश गुप्ता का मकान दक्षिण: गेन्दन लाल शर्मा का मकान	09.10.2019 13.01.2020 20,58,013.00 + ब्याज एवं अन्य व्यय

[illegible] 01.2020 — प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक